अध्याय I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्यय, प्राप्तियों तथा परिसम्पत्तियों और देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए, कि क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों तथा अन्य लागू नियमों, नियमावली, विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है, का उल्लेख करती है। अनुपालन लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों तथा अनुदेशों की वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक की जांच करना भी शामिल होता है। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की ओर से उसके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। ये मानक वे मानदण्ड निर्धारित करते हैं जिनकी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा संचालन करने में पालन करने की अपेक्षा की जाती है और उनके पालन न होने तथा दुरूपयोग के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन तथा लेखापरीक्षित संस्थाओं के आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में विद्यमान कमियों की सूचना देना अपेक्षित होता है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से, कार्यकारी अधिकारी को शोधक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने तथा उन नीतियों और प्रक्रियाओं को बनाने की अपेक्षा की जाती है, जो संगठनों के उन्नत वित्तीय प्रबंधन तथा उनके द्वारा बेहतर शासन के लिए दिए गए योगदान का मार्गदर्शन करेंगे।

2016-17 में, मार्च 2017 तक 95[1] सिविल अनुदानों तथा 2015-16 में 102 सिविल अनुदानों को सम्मिलित करने वाले सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों के सकल प्रावधान एवं व्यय **तालिका सं. 1** में दर्शाया गया हैं:

[1] इसमें रक्षा सिविल अनुदान (2), दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुदान (2), संघ शासित क्षेत्र (विधायिका रहित) अनुदान (5), वैज्ञानिक विभाग (9) तथा केन्द्रीय प्राप्तियां (3) शामिल है।

तालिका सं. 1: सकल प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

संवितरण की प्रकृति	2015-16			2016-17		
	सकल प्रावधान	सकल व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	सकल प्रावधान	सकल व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
राजस्व (प्रभारित)	5,70,014	5,46,699	(-) 23,315	6,14,699	6,05,198	(-) 9,501
राजस्व (दत्तमत)	10,55,700	9,92,772	(-) 62,928	12,60,178	11,36,498	(-) 1,23,680
पूंजीगत (प्रभारित)	42,46,002	37,50,287	(-) 4,95,715	55,10,602	56,97,040	(+) 1,86,438
पूंजीगत (दत्तमत)	2,56,908	2,39,715	(-) 17,193	2,61,720	2,07,390	(-) 54,330
कुल	**61,28,624**	**55,29,473**	**(-) 5,99,151***	**76,47,199**	**76,46,126**	**(-) 1,073**

* *2015-16, में, ₹ 5,99,151 करोड़ निवल बचत थीं। 2016-17 में, ₹ 1,073 करोड़ की निवल बचत ₹ 1,90,227 की सकल बचत एवं ₹ 1,89,154 करोड़ के आधिक्य के कारण थी।*

यह प्रतिवेदन 2016-17 तक लेनदेनों की लेखापरीक्षा के फलस्वरूप उद्भूत सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत सिविल मंत्रालयों/विभागों एवं 74 सिविल अनुदानों को आवृत्त करने वाले उनके स्वायत्त निकायों/निगमों (रक्षा, रेलवे, वैज्ञानिक व पर्यावरण, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, डाक, विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र तथा राजस्व विभाग को छोड़कर) से संबंधित अभ्युक्तियां शामिल करता है। इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान किये गये सकल व्यय नीचे **तालिका सं. 2** में दर्शाये गये हैं:

तालिका सं. 2: सकल व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	2014-15	2015-16	2016-17
1.	कृषि	26572.32	22778.34	48997.61
2.	आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योंपैथी	685.19	1112.14	1292.60
3.	रसायन एवं ऊर्वरक	75411.37	77966.79	70604.54
4.	नागरिक उड्डयन	6626.28	4168.10	3405.79
5.	कोयला	1572.50	1669.72	1338.04
6.	वाणिज्य एवं उद्योग	7438.02	7400.47	6507.48
7.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	129663.57	162384.89	147333.84
8.	कॉर्पोरेट मामले	226.23	404.48	397.28
9.	संस्कृति	2069.19	2011.83	2302.55
10.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का विकास	1761.01	2036.68	2543.61
11.	पेय जल एवं स्वच्छता	12201.46	13481.18	26475.66
12.	विदेश मामले	12148.82	14472.95	12772.62

13.	वित्त	4340806.54	4487273.80	6412578.52
14.	खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग	596.74	504.44	716.97
15.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	33046.65	35390.48	40407.08
16.	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम	1621.43	944.46	8367.50
17.	गृह मामले (विधायिका रहित यूटी को छोड़कर)	61573.53	70006.68	81310.12
18.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	2735.40	1766.16	5220.99
19.	मानव संसाधन विकास	91249.07	86657.36	91673.04
20.	सूचना एवं प्रसारण	3158.53	14681.30	3978.30
21.	श्रम एवं रोजगार	4320.66	4832.02	5313.31
22.	विधि एवं न्याय	1932.84	3127.96	3851.01
23.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2767.82	2834.41	3650.07
24.	खनन	868.16	993.80	1075.97
25.	अल्पसंख्यक मामलें	3090.51	3654.85	3049.15
26.	विदेशी भारतीय मामले	64.09	68.34	--
27.	पंचायती राज	3390.56	208.67	673.98
28.	संसदीय मामले	13.79	15.09	17.09
29.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	1041.80	1127.29	1279.12
30.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	60310.18	31286.74	30231.29
31.	योजना	1808.33	1781.03	225.69
32.	विद्युत	13817.43	9216.23	11768.35
33.	राष्ट्रपति, लोक सभा, राज्य सभा, संघ लोक सेवा आयोग, उप-राष्ट्रपति का सचिवालय एवं निर्वाचन आयोग	1057.98	1189.81	1368.20
34.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	54493.73	84986.39	94752.09
35.	ग्रामीण विकास	111136.62	121366.19	157952.27
36.	पोत परिवहन	1340.21	1689.47	1734.92
37.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	--	1007.47	1553.09
38.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	5802.88	6309.64	7305.78
39.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	4068.78	4178.40	4270.84
40.	इस्पात	71.31	31.90	437.80
41.	कपड़ा	3987.87	4145.98	6227.51
42.	पर्यटन	987.03	903.94	1638.60
43.	जनजातीय मामले	3852.68	4495.18	4822.29
44.	शहरी विकास	13409.64	18752.54	32297.61
45.	महिला एवं बाल विकास	18541.14	17260.28	17097.61
46.	युवा मामले एवं खेल	1144.14	1460.90	1576.20
कुल		**5124484.00**	**5334036.79**	**7362393.97**

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा करना तथा संसद को सूचित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमश: 149 तथा 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 (अधिनियम) से प्राप्त हुआ है। सीएजी, सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम[2] की धारा 13[3] तथा 17[4] के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई गई विधि के अधीन तथा सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधानों को अन्तर्विष्ट करते हुए निकायों की लेखापरीक्षा सांविधिक रूप से अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों अथवा संस्थाओं) की लेखापरीक्षा जनहित में उसी अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत सीएजी को सौंपी गई है। इसके अलावा, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी) जो मूलत: भारत की समेकित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा वित्तपोषित हैं, की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत की जाती है।

1.3 उपयोग प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, वैधानिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों में उपयोग प्रमाण-पत्रों को संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति से 12 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। 30 मंत्रालयों/विभागों द्वारा मार्च 2016 तक जारी अनुदानों के संबंध में ₹ 35,289 करोड़ की राशि के कुल 13,028 उपयोग प्रमाण-पत्र थे जो वित्त वर्ष के 12 माह पश्चात जिसके लिए अनुदान जारी किए गए थे लंबित थे जैसा ब्यौरा **परिशिष्ट-I** में दिया गया है।

10 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मार्च 2017 तक बड़ी राशि के बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की स्थिति **तालिका सं. 3** में दर्शाया गया है:

---

[2] नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियॉ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971।

[3] (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे, से संबंधित लेनदेनों, (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन पत्र तथा अन्य सहायक लेखे की लेखापरीक्षा

[4] संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गये भण्डार तथा स्टॉक के लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा रिपोर्ट

तालिका सं. 3: 31 मार्च 2017 तक लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2016 को समाप्त अवधि हेतु	
		संख्या	राशि
1.	ग्रामीण विकास	138	9354.22
2.	शहरी विकास	422	6676.55
3.	विद्युत	25	5009.79
4.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन	590	4125.08
5.	कृषि (कृषि सहकारिता + पशुपालन एवं डेयरी)	1095	3416.68
6.	कपड़ा	5117	3037.03
7.	कौशल विकास और उद्यमिता (एनएसडीए+एनएसडीएफ)	3	975.52
8.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	266	745.80
9.	संस्कृति	3570	446.42
10.	भारी उद्योग	23	302.35
	कुल	**11249**	**34089.43**

1.4 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों[5] द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर रखे जाने वाले प्रलेखों की समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) 1975-76 में सिफारिश की थी, कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखे, तीन माह की अवधि के अंदर लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, पूर्ण कर लेने चाहिए और उन्हें लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 237 में भी निर्धारित है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर संसद के समक्ष रखे जाने चाहिए।

वर्ष 2015-16 के लिए, 389 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, सीएजी द्वारा की जानी थी। इनमें से, 153 सीएबी के लेखे, देय तिथि के बाद प्रस्तुत किये गये थे, जैसा कि **चार्ट सं. 1** में दर्शाया गया है:

---

[5] पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण और वन, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी, जल संसाधन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के मंत्रालयों को छोड़कर।

चार्ट सं. 1: लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

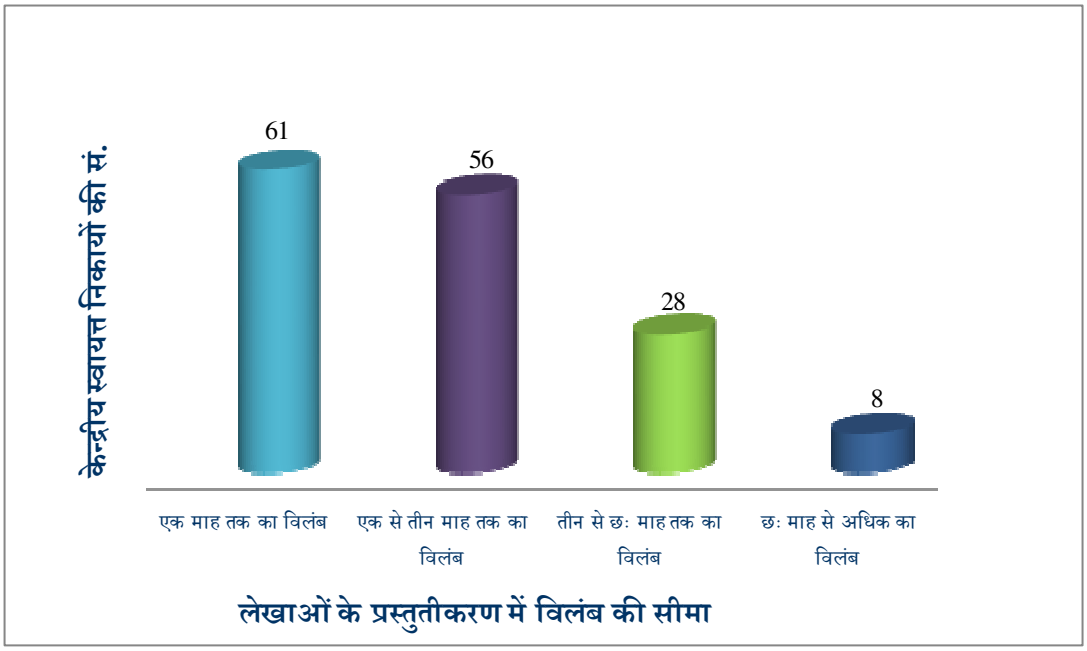

सीएबी जिनके लेखे दिसम्बर 2016 को तीन माह से अधिक विलम्बित थे के विवरण **परिशिष्ट-II** में दिये गये हैं।

1.5 संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सदन के पटल पर प्रस्तुत प्रलेखों पर समिति ने, (प्रथम प्रतिवेदन 1975-76) में, साथ ही साथ जीएफआर 2017 का नियम 237 भी निर्धारित करता है कि स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष लेखांकन-वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अंदर अर्थात आगामी वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

30 नवम्बर 2017 को संसद के समक्ष लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रस्तुति की स्थिति नीचे **तालिका सं. 4** में दी गई है:

तालिका सं. 4: संसद में लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुति की स्थिति

लेखे का वर्ष	निकायों की कुल संख्या जिनके लिए लेखापरीक्षित लेखे जारी किए गये थे, लेकिन संसद के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किये गये	देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत लेखापरीक्षित लेखाओं की कुल संख्या
2013-14	01	**शून्य**
2014-15	01	04
2015-16	39	62

सीएबी के विवरण, जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद में प्रस्तुत नहीं किये गये अथवा देय तिथि के पश्चात प्रस्तुत किये गये, **परिशिष्ट-III** तथा **परिशिष्ट-IV** में दिए गए हैं।

1.6 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षित प्रत्येक स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रमाणित लेखे के साथ संलग्न करके संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाना है।

वर्ष 2016-17 हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ **परिशिष्ट-V** में दी गई हैं। वर्ष 2016-17 हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं में पाई गई कुछ महत्वपूर्ण कमियॉ निम्नानुसार हैं:

(ए) 81 स्वायत्त निकायों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी **(परिशिष्ट-VI)**;

(बी) 66 स्वायत्त निकायों की स्थायी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-VII)**;

(सी) 66 स्वायत्त निकायों की वस्तु-सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-VIII)**;

(डी) 35 स्वायत्त निकाय प्राप्ति/रोकड़ आधार पर अनुदानों की गणना कर रहे थे, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के सामान्य प्रारूप के साथ संगतपूर्ण नहीं थी **(परिशिष्ट-IX)**;

(ई) 105 स्वायत्त निकायों ने ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों की गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं की थी **(परिशिष्ट-X);**

(एफ) **सात** स्वायत्त निकायों द्वारा स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य-ह्रास नहीं दिया गया था **(परिशिष्ट-XI);** तथा

(जी) 25 स्वायत्त निकायों ने लेखापरीक्षा के परिणाम के आधार पर अपने लेखाओं को संशोधित किया **(परिशिष्ट-XII)**। संशोधन का प्रभाव परिसंपत्तियों/देयताओं में ₹ 7.46 करोड़ की निवल कमी तथा अधिशेष में ₹ 149.92 करोड़ की निवल कमी थी।

1.7 लंबित एटीएन की स्थिति

संसद को दिनांक 17 अगस्त 1995 को प्रस्तुत अपनी 105वीं रिपोर्ट (10वीं लोकसभा - 1995-96) में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि सीएजी के प्रतिवेदनों के सभी पैराओं पर कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) 31 मार्च 1996 के बाद से आरंभ होने वाले सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदनन्तर, व्यय विभाग के अधीन एक मॉनीटरिंग सैल का सृजन किया गया था जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त एटीएन के संग्रहण तथा समन्वयन तथा उनको संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

मार्च 2016 को समाप्त अवधि तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), में शामिल पैराओं पर एटीएन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा से नवम्बर 2017 तक स्थिति प्रकट हुई, जिसे नीचे **चार्ट सं. 2** में दिया गया है।

चार्ट सं. 2: एटीएन की संक्षिप्त स्थिति

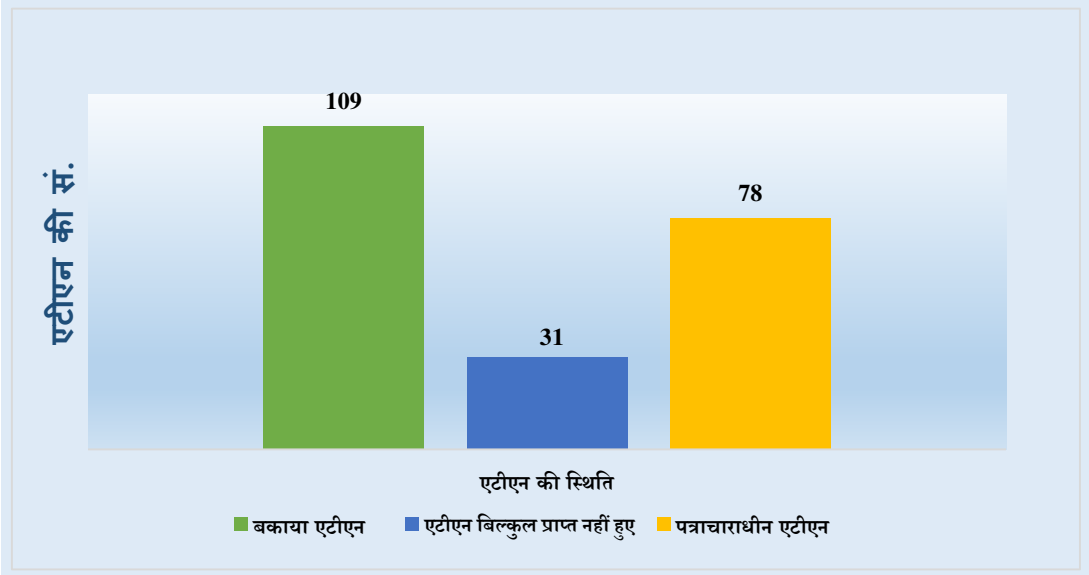

109 पैराग्राफ में से, जिन पर एटीएन भेजने की आवश्यकता थी, 31 पैराग्राफों से संबंधित एटीएन प्राप्त ही नहीं हुए थे, जबकि शेष 78 विभिन्न चरणों में बकाया थे। वर्ष-वार ब्यौरे **परिशिष्ट-XIII** में दर्शाये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम पर पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में, 21 पैराग्राफों जिन पर एटीएन भेजा जाना अनिवार्य था, में से आठ पैराग्राफों के संबंध में एटीएन बिल्कुल प्राप्त नहीं हुए थे जबकि शेष 13 विभिन्न स्तरों पर लंबित थे।

1.8 लेखापरीक्षा पैराग्राफ के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के अपने उत्तर पैराग्राफों की प्राप्ति के छः सप्ताहों के भीतर प्रेषित करने के निर्देश जारी किए। तदनुसार, ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है तथा उनमें निवेदन किया जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर दें।

₹ 102.58 करोड़ के अधिक-भुगतान/अस्वीकार्य भुगतानों में से ₹ 87.34 करोड़ की राशि दो मंत्रालयों/विभागों द्वारा वसूल की गई है, जैसा कि नीचे **तालिका सं. 5ए तथा 5बी** में वर्णित है:

तालिका सं. 5ए: स्वायत्त निकायों के मामले में अधिक-भुगतान/अस्वीकार्य भुगतानों में से वसूल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूली गयी राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई
1.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	मानव संसाधान विकास स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	लाईसेंस शुल्क की गैर-वसूली	0.83	0.73	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने परिसर में सिंडीकेट बैंक की तीन शाखाओं के लिए स्थल आवंटित किया। सीबीएसई ने हालांकि, सम्पदा निदेशालय द्वारा बैंक से निर्धारित लाइसेंस शुल्क नहीं प्रभारित किया, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 83.41 लाख की लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं हुई।

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि	वसूली गयी राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई
2.	ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	श्रम	ब्याज की कम प्राप्ति तथा पेनल क्षति	3.21	3.05	ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, ने ईपीएफ अंशदान तथा बीएसएनएल कोलकाता द्वारा अन्य प्रशा. प्रभारों के जमा में विलंब के कारण वसूल किए जाने वाले ब्याज एवं पेनल क्षतियों को प्रभारित करने हेतु अवधि की गलत गणना की (15 फरवरी, 2011 से 18 दिसंबर, 2014 तक की बजाय 15 दिसंबर, 2000 से 18 दिसंबर, 2014 तक)। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, आरओ, ईपीएफओ, कोलकाता ने ब्याज एवं पेनल क्षतियों के रूप मे ₹ 3.05 करोड़ (₹ 0.17 करोड़ पेनल क्षति के रूप में तथा ₹ 2.88 करोड़ ब्याज के रूप में) की वसूली के लिए आदेश जारी किया (सितम्बर 2017) जिसे सितम्बर 2017 में वसूल कर लिया गया था। यद्यपि ₹ 0.16 करोड़ अभी भी वसूल किया जाने योग्य है क्योंकि आरओ ईपीएफओ, कोलकाता ने बीएसएनएल से कुल वसूल की गई ब्याज एवं पेनल क्षतियों से ₹ 9.91 करोड़ की बजाय गलती से ₹ 10.07 करोड़ काट लिए थे।
			कुल	**4.04**	**3.78**	

तालिका सं. 5बी: भारतीय खाद्य निगम के मामले में अधिक भुगतान/अस्वीकार्य भुगतानों में से वसूल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	अधिक-भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि जैसा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है	वसूल की गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति तथा मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
3.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	अस्वीकार्य भुगतान	7.49	7.49	धान की खरीद में पुरानी बोरियों का उपयोग करने के कारण बोरी मूल्यह्रास के प्रति राज्य सरकार एजेंसियों को अधिक भुगतान
				6.21	6.21	अभिरक्षा तथा रखरखाव प्रभारों का अधिक भुगतान
				6.73	6.73	फसल वर्षों 2006-07, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लेवी चावल की कम सुपुर्दगी के कारण वसूल न किया जाना
				0.93	0.93	सर्दूलगढ़ केन्द्र पर गेहूँ की प्रत्यक्ष सुपुर्दगी न लेना
				15.84	15.84	आरएमएस 2007-08 तथा 2008-09 के अंतिम दरों के निर्धारण पर भंडारण प्रभारों के कारण अधिक भुगतान
				13.18	0.23	खाद्यान्नों के परिवहन पर सेवा कर के अवयवों का परिहार्य भुगतान
				1.23	1.23	विभागीय श्रम को प्रोत्साहन के भुगतान में पायी गयी कमियॉ
				8.17	4.87	धान खरीद के परिणामी चावल की सुपुर्दगी में विलम्ब के कारण अर्थदण्ड का न लगाया जाना
				5.59	8.22	रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2007-08 के

क्र.सं.	इकाई का नाम	मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की प्रकृति	अधिक-भुगतान/कम वसूली/अस्वीकार्य भुगतान की राशि जैसा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है	वसूल की गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति तथा मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
						अंतिम दर में संशोधन होने के कारण वसूली न होना
				33.17	31.81	खरीफ विपणन मौसम 2010-15 के लिए कस्टम मिल्ड चावल की खरीद पर बोरी थैलों के लिए अधिक प्रतिपूर्ति
			कुल	**98.54**	**83.56**	

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके स्वायत्त निकायों/निगमों से संबंधित ₹ 1,179.16 करोड़ के शामिल मूल्य के 62 पैराग्राफ (78 मामले[6]) शामिल हैं। 24 पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए थे तथा उन्हें उचित प्रकार से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

[6] 78 मामलों में तीन पैराग्राफों, जो पैरा 1.8 मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा की गई कार्रवाई/वसूलियां के अंतर्गत संयोजित किए गए हैं तथा 62 व्यक्तिगत पैराग्राफों को शामिल किया गया है। 18 मामले पांच पैराग्राफों में (पैराग्राफ सं. 7.2, 7,3, 12.4, 12.10, तथा 12.17) में संयोजित किया गया है, क्योंकि वे सामान्य चूक के तहत गिर गए हैं।